



(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक-6159/गो0, दिनांक 08.10.2020 एवं 6259/गो0, 6260/गो0, 6253/गो0, 6258/गो0, 6257/गो0, 6255/गो0, 6252/गो0, दिनांक 12.10.2020 द्वारा निम्नलिखित मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

क्र0	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या एवं प्रकार	शस्त्र की स्थिति (पुलिस प्रवितेदन के अनुसार)
1	2	3	4
1	स्व0 गणेश प्रसाद सिंह, पे0-योगेन्द्र नारायण सिंह, साकिन-लालपुर, थाना-चौथम, जिला-खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/1976 (चौथम थाना)	गण हाउस में जमा है।
2.	स्व0 दयानन्द भगत, पे0-भागवत भगत, साकिन-बन्देहरा, थाना-परबत्ता, जिला-खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-01/1973 (परबत्ता थाना)	बिहार आर्म्स एण्ड एम्पुनेशन स्टोर, भागलपुर में जमा है।
3.	स्व0 अशीष कुमार सिंह, पे0-स्व0 आनन्दी प्रसाद सिंह, साकिन-महदीपुर, थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-03/2002 (पसराहा थाना)	सिंह गण हाउस भागलपुर में जमा है।
4.	स्व0 केदार प्रसाद वर्मा, पे0-गोविन्द प्रसाद वर्मा, साकिन-पसराहा, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-04/1977 (गोगरी थाना)	युनिभर्सल आर्म्स कॉ0 मकसूसपुर मुंगेर में जमा है।
5.	स्व0 रामकृष्ण यादव, पे0-स्व0 नागेश्वर प्रसाद यादव, साकिन-बसूआ, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया।	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-04/1959 (गोगरी थाना)	बिहार आर्म्स एण्ड एम्पुनेशन स्टोर मुंगेर में जमा है।
6.	स्व0 शैलेन्द्र कुमार यादव, पे0-दीप नारायण प्रसाद यादव, साकिन-बसूआ, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-03/1970 (गोगरी थाना)	भागलपुर गण हाउस में जमा है।
7.	स्व0 अशोक कुमार, पे0-जयनारायण प्रसाद यादव, साकिन-बसुआ, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया	राईफल अनुज्ञप्ति सं0-03/1985 (गोगरी थाना)	भागलपुर गण हाउस में जमा है।
8.	स्व0 राजेन्द्र शर्मा, पे0-स्व0 जयंती शर्मा, साकिन-बड़ी पैकान्त, थाना-पसराहा (गोगरी), जिला-खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-12/1997 पसराहा (गोगरी थाना)	भागलपुर गण हाउस में जमा है।

अतः उपरोक्त मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। थानाध्यक्ष, चौथम/पसराहा को

आदेश दिया जाता है कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित से शस्त्र जमा करने का प्राप्ति रसीद के साथ मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका प्राप्तकर जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ह/-

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020.....633...../जी0, दिनांक 17.10.2020

- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, गोगरी/पसराहा/परबत्ता/चौथम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को उनके पत्रांक-6159/गो0, दिनांक 08.10.2020 एवं 6259/गो0, 6260/गो0, 6253/गो0, 6258/गो0, 6257/गो0, 6255/गो0, 6252/गो0, दिनांक 12.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए सूचित करना है कि आपके पत्रांक 6157/गो0, 6158/गो0, दिनांक 08.10.2020 एवं 6251, 6252/गो0, दिनांक 12.10.2020 से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमशः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 767/जी0, दिनांक 20.09.2019, 605/जी0, दिनांक 24.09.2020, 504/जी0, दिनांक 05.07.2019 एवं 1236/जी0, दिनांक 09.11.2015 द्वारा रद्द किया जा चुका है।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।